न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 84/2020 [illegible]

उदाराम पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी ग्राम रोही बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर [illegible]

वादी

बनाम

1. [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी ग्राम तहसील श्रीडूंगरगढ़
3. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी ग्राम तहसील श्रीडूंगरगढ़
4. [illegible] पुत्र [illegible] जाति सिद्ध जाति जाट निवासी ग्राम तहसील श्रीडूंगरगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थिति:–

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 ता 4
3. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी एवं धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

यह वाद उदाराम ने जरिये अधिवक्ता मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से खेत खसरा नम्बर 213 तादादी 0.2500 हैक्टेयर रोही बाना में स्थित है उक्त खेत के चारो तरफ तारबन्दी की हुई हैं एवं मौके पर सीमाएं कायम है। वादगत खेत पुराने खसरा नम्बर 690/109 तादादी 24 बीघा से बना है, खसरा नम्बर 610/109 तादादी 24 बीघा का विभाजन वादी एवं वादी के भाईयो के मध्य हुआ थ विभाजन में वादी के हिस्से पाती में वर्तमान खसरा नम्बर 213 तादादी 0.2500 हैक्टेयर कायम हुआ विभाजन के अनुसार ही वादी का वादगत खेत पर कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादी अपने खेत पर केसीसी बनवाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी के खेत की तरमीम कब्जे के अनुसार नही है वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे एवं विभाजन के विपरीत है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी ने मौके पर सीमाए कायम कर रखी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण के खेतो की सीमाए संलग्न नक्शे के अनुसार लाल रंग से दर्शायी अनुसार है। उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त कायम है एवं सीमा कायम कर रखी है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी। वादगत खेत खसरा नम्बर 213 तादादी 0.2500 हैक्टेयर की मौके पर सीमाऐ एवं कब्जा काश्त विभाजन के अनुसार कायम है। जबकि वर्तमान राजस्व नक्शा में मौके कब्जे एवं विभाजन मे दर्शायी सीमाओं के बिल्कुल विपरीत है। जिसका वादी मौंके कब्जे एवं कायम सीमाओं के अनुसार करवानें का अधिकारी है। वादी ने दिनांक 07.12.2020 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो पता चला कि वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत हो रखी है जिसको वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से मौंके कब्जे के अनुसार करवानें के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इन्कार कर दिया प्रतिवादी की इन्कारी से वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी के खेतो के राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं कायम सीमाओ के विपरीत होने एवं विभाजन के अनुसार नही होने से वादी को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। वादी की भूमि रोही बाना में अवस्थित है जो श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। दावा जानकारी के अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

इस वादी का [illegible] स्वीकार किया जाकर [illegible] नक्शे में [illegible] करवाया गया है।

(ग) कि रोही बाना के [illegible] राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं [illegible] के अनुसार [illegible]

(घ) कि प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित किया जावे कि रोही बाना के [illegible] खसरा नम्बर 213 तादादी 0.25 हैक्टेयर की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं [illegible] के अनुसार [illegible]

(ङ) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो [illegible] वादी को [illegible]

वादी के प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को [illegible] तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उपस्थित अधिवक्ता [illegible] एवं इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 की तरफ से [illegible] सरकार राज्य ने जवाब पेश किया कि ग्राम बाना का खसरा नम्बर 213 तादादी 0.25 उदाराम पुत्र लालूराम जाति जाट साकिन [illegible] के नाम दर्ज है उक्त भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीडूंगरगढ के नाम रहन दर्ज है। वादी उदाराम अपने उक्त खसरा नम्बर 213 के मुताबिक मौका कब्जा के नक्शे में दुरूस्त करवाना चाहता है। तो हमें कोई आपति नहीं है। वाद का अवलोकन किया गया। स्टेट को वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 213 तादादी 0.25 हैक्टेयर रोही बाना की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे अनुसार करने के आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करे।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को सरे इजलास मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:57 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

[illegible]

सीआ 0 मुकदिमा 0 बाबत 0 खर्चा हुआ मुकदमे के ... सूद व हरजा 0 फीसदी सालाना आज की जारी ____ तारीख वसूलयाबी ____ को अदा करें।

बतौर मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक माह ____ सन् 2021 को जारी किया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	व	1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2 अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3 प्लीडर की फीस	0
4......रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4 साक्षियो के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियो के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		0
योग	0		0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)